न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत–2017 केम्प कोर्ट बरण तहसील बनेड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर R.A.S.

प्रकरण संख्या : 18/2013 राजस्व अपील

उनवान

1. श्रीमति सुगना पुत्री स्व0 श्री हजारी बलाई पत्नि श्री छीतरलाल बलाई निवासी रायसिंहपुरा, तहसील बनेडा हाल–माण्डल तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा

—— **अपीलार्थीया**

बनाम

1 श्रीमति गेखी पत्नि स्व0 श्री हजारी बलाई निवासी रायसिंहपुरा, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 श्रीमति रामु पुत्री स्व0 श्री हजारी बलाई निवासी रायसिंहपुरा, तहसील बनेडा हाल निवासी बलाई खेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3 श्रीमति उगमी पुत्री स्व0 श्री हजारी बलाई निवासी रायसिंहपुरा, तहसील बनेडा हाल–माण्डल तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा
4 श्रीमति काली पुत्री स्व0 श्री हजारी बलाई निवासी रायसिंहपुरा, तहसील बनेडा हाल–माण्डल तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा
5 श्रीमति देउ पुत्री छोगा बलाई निवासी मेजा, तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा
6 श्री नन्दलाल पिता छोगा बलाई निवासी मेजा, तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा
7 श्रीमति पानी पुत्री छोगा बलाई निवासी मेजा, तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा
8 श्री मुकेश पिता छोगा बलाई निवासी मेजा, तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा
9 श्री कमलेश पिता छोगा बलाई निवासी मेजा, तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा
10 श्रीमति संजु पुत्री छोगा बलाई निवासी मेजा, तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा
11 श्री छोगा बलाई निवासी मेजा, तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा
12 श्रीमति राधा पुत्री गोकुल बलाई पत्नि प्रभु बलाई निवासी धूलखेडा तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा

——**रेस्पोडेण्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामा. संख्या 104 आदेश दिनांक 28–03–1979 ग्राम पंचायत बरण

उपस्थित –

1. श्री कृष्ण कुमार जीनगर..... अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित
2. पैरोकार सरकार.....उपस्थित

निर्णय

दिनांक – 27.06.2017

अपील के संक्षेप तथ्य यह है कि ग्राम रायसिंहपुरा पटवार मण्डल बरण स्थित आराजी संख्या 976, 977, 978, 980 कुल किता 04 कुल रकबा 06–02 बीघा स्थित है। अपीलार्थी एंव रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 04 स्व0 हजारी बलाई के वारिस है हजारी के अपीलार्थी एंव प्रत्यर्थी संख्या 01 से 04 के अलावा दो पुत्रीयां केसर व मोहनी थी। केसर व मोहनी की मृत्यु हो गई है। प्रत्यर्थी संख्या 05 से 11 स्व0 मोहनी के पुत्र, पुत्री एंव पति तथा प्रत्यर्थी संख्या 12 केसर की पुत्री है। अपीलार्थी एंव प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 12 स्व0 श्री हजारी बलाई की पत्नि व पुत्रीयां एंव पुत्री के पुत्र पुत्री व पति होने से वारिस है। हजारी पिता केला बलाई की मृत्युपरांन्त विरासत से नामान्तकरण संख्या 104 दिनांक 28.03.1979 को खोला गया जिसमें नामान्तकरण प्रत्यर्थी संख्या 01 अकेले के नाम खोला गया, इन तथ्यों की जानकारी किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा त्रूटीपूर्ण दर्ज कर नामान्तकरण फैसल करवा लिया, जो कि विधि विरूद्ध होकर नामान्तकरण अपास्त योग्य है।

उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को 18.08.2013 को हुई तथा उनके द्वारा नकल लेकर विहीत समयावधि में अपील पेश की है। विलम्बित अवधि के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रा.पत्र प्रस्तुत कर क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। प्रा.पत्र की ताईद में शपथपत्र भी पेश हुआ। जिसका कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थीया/प्रार्थीगण का प्रा.पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर विलम्बित अवधि क्षम्य की जाती है।

प्रकरण को दिनांक 15.10.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स की तल्बी की गई। दिनांक 13.06.2014 को प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 03 सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रत्यर्थी संख्या 05 लगायत 12 के सम्मन बाद तामील शामिल पत्रावली है। इसी दौरान प्ररकण को राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प शिविर मुकाम बरण के लिए पंजीबद्ध किया कर पक्षकारान उभयपक्ष को वजह जाहिर करने के लिए सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी कम 05 लगायत 12 सूचना के बावजूद शिविर में उपस्थित नही रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा जरिये भू0अ0निरीक्षक बनेडा द्वारा वक्त शिविर में उपस्थित होकर अपनी और मौका पर्चा रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे रिकार्ड पर लिया गया। प्रकरण का मेरिट्स पर परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन किया गया तथा उपस्थित पक्षकरान को सुना गया। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने जो सजरा प्रमाणित किया है उसमें अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 02 लगायत 04 को मृतक हजारी पिता केला बलाई की कोई जाईन्दा पुत्रीयां नही होने से वारिस नहीं होना बताया गया है। इसके विपरीत मृतक हजारी पिता केला के जाईन्दा पुत्रीयां अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 02 लगायत 04 नही होने के प्रमाण में अपील मेमों में कोई ठोस खण्डन रेकार्ड में मौजूद नही है। इसके विपरीत मृतक हजारी पिता केला बलाई के जाईन्दा पुत्री ने अपने अपील मेमों के समर्थन में राज्य पक्ष तहसीलदार जरिये भू0अ0निरीक्षक बनेडा मौका पर्चा रिपोर्ट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी कम 02 लगायत 04 हजारी पिता केला बलाई के प्रथमश्रेणी वारिसान होकर अपीलाधीन नामान्तरण में अपना नाम बतौर वारिस जुड़वाने के अधिकारी है। हम अपीलार्थीपक्ष के इस तर्क से सहमत है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक हजारी पिता केला बलाई के वारिसान की सम्पूर्ण जानकारी लिये बिना ही आदेश पारित कर महत्वपूर्ण विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी की ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बरण अपीलाधीन नामा. संख्या 104 आदेश दिनांक 28–03–1979 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बनेड़ा को रिमाण्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। तहसीलदार उक्त प्रकरण में अजसिरे उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर 6 माह की समयावधि में मृतक हजारी पिता केला बलाई के वारिसान की सम्पूर्ण जानकारी लेकर नवीन निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 10.06.2017 को खुले न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प बरण में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित हो।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा